बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

सं0सं0—05 / स्था0 (आरोप)—02—04 / 2023,परि0 3846 **पटना, दिनांक—** 09/05/2025

दिनांक—18.06.2023 को श्री रूपेश कुमार सिंह, पश्चिम चम्पारण से प्राप्त परिवाद पत्र में वाहन सं0—BR-22P-1358 का परमिट जाली / अवैध फिटनेस एवं इंश्योरेन्स के आधार पर 15.04.2023 को निर्गत होने तथा उक्त वाहन एवं कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए परमिट रद्द करने का अनुरोध प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर से किया गया है।

श्री रूपेश कुमार सिंह से प्राप्त शिकायत आवेदन पर श्री सूरज कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक के द्वारा लगभग एक माह (22.06.2023 से 14.07.2023 तक) बीत जाने के बाद भी उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण उसके विरूद्ध लापरवाही एवं स्वेच्छा चारिता के आधार पर संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा पत्रांक—1567, दिनांक—11.12.2023 से श्री सूरज कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक को आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा गठित आरोप पत्र के विरूद्ध श्री सूरज कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक द्वारा अपना अभिकथन उपलब्ध कराया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वाहन सं0—**BR-22P-1358** का परमिट मेरे द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त वाहन का परमिट अन्य लिपिक द्वारा निर्गत किया गया है। निर्गत परमिट पर मेरा हस्ताक्षर भी नहीं है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर में तीन स्वीकृत पद के विरूद्ध विभाग से एकमात्र मेरा प्रतिनियुक्ति किया गया है। आयुक्त कार्यालय के एक सहायक श्री शैलेश कुमार को परिवहन कार्य की जानकारी के लिये मुझे प्रतिनियुक्त किया गया है। प्राधिकार की बैठक के बाद कार्यवाही को ऑनलाईन करना, निर्गत परमिट को वाहन स्वामी के पते पर डाक द्वारा भेजना एवं परमिट को पोर्टल पर ऑनलाईन करने का कार्य के साथ—साथ परमिट नवीकरण, परमिट प्रतिस्थापन, प्रत्यर्पण, शमन, प्रतिहस्ताक्षर, एजेंडा बस पड़ाव, एजेंट अनुज्ञप्ति, परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, राजस्व एवं परमिट से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन, लोक सूचना एवं लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, विधान सभा प्रश्नोत्तर, माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित आदि कार्य आवंटित किया गया।

दिनांक—21.06.2023 तक कुल 393 आवेदन पत्र एवं अन्य पत्र प्राप्त हुआ तथा 698 पत्र मेरे द्वारा निर्गत है। उक्त अवधि तक कोई भी पत्र मेरे स्तर से लंबित नहीं था। दिनांक—30.06.2023 को आहुत प्राधिकार की बैठक के आलोक में प्रकाशन करना एवं उसके उपरान्त आपत्ति दर्ज कर एजेंडा तैयार करना आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ऑफलाईन या ऑनलाईन कार्यालय अभिलेख से मिलान कर कार्यालय द्वारा आपत्ति लगाने का निर्देश आयुक्त महोदय द्वारा दिया गया। इसी बीच दिनांक—02.06.2023 से 17.07.2023 तक कार्यालय का मरम्मति एवं रंगरोगण कार्य भी हुआ। जैसे ही उक्त मामलें से संबंधित संचिका मेरे संज्ञान में आया उसे बिना विलंब किये दिनांक—14.07.2023 को उपस्थापित कर दिया गया। मेरे स्तर से कोई विलंब नहीं किया गया है। यह विलंब परिस्थितिजन्य हुआ है, न की मेरे द्वारा किया गया है।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा पत्रांक–122, दिनांक–30.01.2024 द्वारा श्री सूरज कुमार के लिखित अभिकथन के विरूद्ध अपना मंतव्य एवं साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। जिसमें श्री सूरज कुमार के अभिकथन को सही बताया गया। वाहन सं0–BR-22P-1358 का परमिट तत्कालीन लिपिक द्वारा निर्गत किया गया है। टिप्पणी पृष्ठ एवं संलग्न परमिट की छायाप्रति में सूरज कुमार का हस्ताक्षर नहीं होने की पुष्टि की गई है। तत्कालीन सहायक की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद विभागीय लिपिक श्री सूरज कुमार के जिम्मे आ गया। इस बीच कार्यालय में रंगरोगण का कार्य दिनांक–02.06.2023 से 17.07.2023 तक हुआ जो सही है। कार्यालय में तीन लिपिक का पद स्वीकृत है जिसमें एकमात्र लिपिक का पदस्थापन है।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री सूरज कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक के अभिकथन को संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण **आदेश सं0–7326, दिनांक–29.04.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथा संशोधित नियमावली, 2005 के नियम 14(iv) के संगत प्रावधानों के तहत तीन वर्षों से अनधिक अवधी के लिये संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दंड अधिरोपित किया गया।**

श्री सूरज कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक द्वारा विभागीय आदेश सं0–7326 दिनांक–29.04.2024 द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। उक्त अपीलवाद की सुनवाई दिनांक–23.12.2024 को की गई, जिसमें श्री सुरज कुमार द्वारा रखे गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में विचारोपरान्त विभागीय आदेश सं0–7326 दिनांक–29.04.2024 द्वारा संसूचित दंडादेश में संशोधन करते हुए श्री सूरज कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधान के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धि रोकने"** का दंड **अधिरोपित किया जाता है।**

ह0 अ0
28/3/25
अपीलीय प्राधिकार–सह–सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05/स्था0 (आरोप)–02–04/2023,परि0 3846 **पटना, दिनांक–** 09/05/2025

प्रतिलिपिः– संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/ जिला परिवहन पदाधिकारी, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री सूरज कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, गया (डोभी चेकपोस्ट)/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 अ0
08/3/25
अपीलीय प्राधिकार–सह–सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।